

# प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

## औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/165979/LCK/LUCKNOW/7780/CFO

दिनांक: 18-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHALIMAR LAKECITY PVT LTD FORMALLY KNOWN AS ANS DEVELOPER PVT LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GH 18 VALENCIA COUNTY EAST PHASE 2 VILLA SHALIMAR, ONE WORLD BAGHAMAU GOMTI NAGAR EXTENSION, LUCKNOW** तहसील - **LUCKNOW** प्लाट एरिया **138209.78 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **22051.63** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **7** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK AE	3	0	10.70 mt.
BLOCK AW	3	0	10.70 mt.
BLOCK BE	4	0	14.20 mt.
BLOCK C	4	0	14.20 mt.
BLOCK EW1	3	0	10.70 mt.
BLOCK EW2	4	0	13.08 mt.
BLOCK FE	4	0	14.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SHALIMAR LAKECITY PVT LTD FORMALLY KNOWN AS ANS DEVELOPER PVT LTD** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्रि निवारण एवं अग्रि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्रिशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्रि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र खत: ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SHALIMAR LAKECITY PVT LTD FORMALLY KNOWN AS ANS DEVELOPER PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिमेदार होगा/होंगे।

**Note :** अपलोड मानचित्र में AE के 06, AW के 08, BE के 11, C के 07, EW1 के 02, EW2 के 02 व FE के 01 (कुल-37) विला प्रस्तावित किये गये हैं। परिसर में अग्रि सुरक्षा व्यवस्था/जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानक के अनुसार यार्ड हाईड्रेण्ट, भूमिगत टैंक-50000 लीटर क्षमता, फायर पम्प (एक इलेक्ट्रिक पम्प-1620 LPM, एक डीजल पम्प-1620 LPM एवं एक जॉकी पम्प-180 LPM) एवं प्रत्येक विला में मानक के अनुसार फायर एक्सटिग्यूशर्स स्थापित करना आवश्यक होगा तथा भवन के अधिभोग से पूर्व मानक के अनुसार वांछित व्यवस्थाओं का प्रावधान कर पूर्णता(कम्लीशन) अग्रि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**Note :** अपलोड मानचित्र में AE के 06, AW के 08, BE के 11, C के 07, EW1 के 02, EW2 के 02 व FE के 01 (कुल-37) विला प्रस्तावित किये गये हैं। परिसर में अग्रि सुरक्षा व्यवस्था/जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानक के अनुसार यार्ड हाईड्रेण्ट, भूमिगत टैंक-50000 लीटर क्षमता, फायर पम्प (एक इलेक्ट्रिक पम्प-1620 LPM, एक डीजल पम्प-1620 LPM एवं एक जॉकी पम्प-180 LPM) एवं प्रत्येक विला में मानक के अनुसार फायर एक्सटिग्यूशर्स स्थापित करना आवश्यक होगा तथा भवन के अधिभोग से पूर्व मानक के अनुसार वांछित व्यवस्थाओं का प्रावधान कर पूर्णता(कम्लीशन) अग्रि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्रिशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(ANKUSH MITTAL)

[C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4]

24-07-2025